

**न्यायालय-अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.-890 / 2010  
संस्थित दिनांक-26.11.2010  
फाईलिंग क.234503000302010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

सुनील कुमार मरावी पिता सुमरनसिंह, उम्र-26 वर्ष,  
निवासी-ग्राम नव्ही, चौकी पाथरी, थाना मलाजखण्ड,  
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

----- **आरोपी**

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक- 28 / 03 / 2017 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-39/192, 5/180 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-12.10.2010 को 17:00 बजे, थाना मलाजखण्ड अंतर्गत बंजारी नाला, बिठली रोड में अपने स्वामित्व के वाहन क्रमांक-एम.पी-22/बी-6070 को आरोपी मोहनलाल उर्फ छोटू को बिना रजिस्ट्रेशन कराए चालन करने दिया, आरोपी मोहनलाल उर्फ छोटू को बिना लायसेंस के चालन करने दिया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-12.10.2010 को फरियादी तीरथ मरकाम ने पुलिस चौकी पाथरी अंतर्गत थाना मलाजखण्ड आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम नव्ही रहता है तथा कास्तकारी का कार्य करता है। दिनांक-12.10.10 को करीब 4:00 बजे, वह लकड़ी लेने बंजारी जंगल गया था और नाले में मुंह-हाथ धो रहा था। उसी समय बिठली की तरफ से नाले में जीप गिरने की आवाज तथा बच्चों के रोने की आवाज आई। उसने जाकर देखा तो नाले में गाड़ी पलटी हुई थी, जिसमें सवारी दबी हुई थी। उसने ग्राम नव्ही की कुन्नीबाई एवं सुनीताबाई को पहचाना। उसी समय वहां दशरथ आया, जिसके साथ जीप क्रमांक-एम.पी-22/बी-6070 में दबे तीन लोगों को निकाले। उक्त वाहन को छोड़कर ड्राइवर मोहन धुर्वे भाग गया था। वाहन चालक मोहन धुर्वे ने वाहन को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए दुर्घटना कारित की। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध पुलिस चौकी पाथरी में अपराध क्रमांक-0/2010, अंतर्गत धारा-279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-184 का अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसे थाना मलाजखण्ड में असल कायमी की

जाकर अपराध क्रमांक-86/2010, धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-184 पंजीबद्ध किया गया। उपचार के दौरान आहत गीता गोंड की मृत्यु हो जाने से तथा आरोपी मोहनलाल उर्फ छोटू द्वारा बिना लायसेंस व बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाए जाने से आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध धारा-304(ए) भा.द.वि. एवं धारा-3/181 व 39/192 मोटरयान अधिनियम बढ़ाई गई तथा वाहन मालिक सुनील कुमार के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-39/192 व 5/180 बढ़ाई गई। पुलिस द्वारा शेष आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी से वाहन मय दस्तावेज के जप्त कर मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- प्रकरण में आरोपी मोहनलाल उर्फ छोटू की मृत्यु हो जाने से एवं उसका मृत्यु प्रमाणपत्र अभिलेख में प्रस्तुत किये जाने से उसके विरुद्ध प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की गई है।

4- आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा-39/192, 5/180 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1- क्या आरोपी ने दिनांक-12.10.2010 को 17:00 बजे, थाना मलाजखण्ड अंतर्गत बंजारी नाला, बिठली रोड में अपने स्वामित्व के वाहन क्रमांक-एम. पी-22/बी-6070 को आरोपी मोहनलाल उर्फ छोटू को बिना रजिस्ट्रेशन कराए चालन करने दिया ?

2- क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को आरोपी मोहनलाल उर्फ छोटू को बिना लायसेंस के चालन करने दिया ?

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 व 2 का निष्कर्ष :-**

6- सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

वस्तुतः यह शून्य साक्ष्य का मामला है। अभियोजन द्वारा जितने भी अभियोजन साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया है, उनके द्वारा मुख्य आरोपी मोहनलाल उर्फ

छोटू के संबंध में कथन किये गए हैं। वर्तमान आरोपी सुनील के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी द्वारा कोई भी कथन नहीं किये गए हैं। अभियोजन द्वारा विवेचक साक्षी की साक्ष्य भी नहीं कराई गई है, जिससे कथित आरोप के संबंध में कोई आधार दर्शित होता। साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई विपरीत उपधारणा नहीं की जा सकती। अतः अभियोजन आरोपी सुनील के विरुद्ध यह मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में आरोपी सुनील को मोटरयान अधिनियम की धारा-39/192 तथा 5/180 के अंतर्गत आरोपी में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

7— प्रकरण में आरोपी सुनील न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

8— प्रकरण में आरोपी सुनील की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

9— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन कमाण्डर क्रमांक एम.पी-22/बी-6070 को सुपुर्ददार सुनील कुमार वल्द सुमरनसिंह मेरावी, जाति गोंड, निवासी-ग्राम पाथरी, थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट को मय दस्तावेजों के सुपुर्दगी में प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे, अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर  
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट